संख्या-19/1756/26-3-2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया, मऊ, हाथरस, फर्रूखाबाद, जालौन,
बदायूँ, शाहजहाँपुर, बिजनौर, सम्भल, मेरठ,
हापुड़, बुलन्दशहर एवं जौनपुर।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर, 2013

विषय- रिट याचिका संख्या-58129/2012 राहुल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2013 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त रिट याचिका संख्या-58129/2012 राहुल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2013 का अनुपालनीय अंश निम्नवत् है -

The Principal Secretary, Social Welfare Deportment, Government of U.P. Lucknow shall obtain specific information from the Social Welfare Officers of District Balia, Mau, Hathras, Farrukhabad, Jalaun, Badaun, Shahjhanpur, Bijnor, Sambhal, Meerut, Hapur, Bulandshaher and Jaunpur as to why the money allocated in the matter of payment of fee to scheduled Caste/Scheduled Tribe category candidates has not been distributed in its entirety. Suitable action should be taken to ensure the distribution without any delay.

Petitioner is also at liberty to file reply to the affidavit foaled today.

Let the matter be listed next on 12.12.2013.

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय के पत्रांक 156-60/स0क0/शिक्षा-अ/2013-14, दिनांक 21.11.2013, जो कि

http://shasanadesh.up.nic.in

संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को संबोधित है एवं आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय पात्र एवं वेबसाइट पर अपलोड छात्रों को वास्तविक सत्यापनोपरान्त उनके भुगतान किये जाने से संबंधित सूचना दिनांक 30.11.2013 तक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त सूचना पूर्व में भी संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध निदेशालय द्वारा किया गया है, परन्तु उक्त सूचना अभी तक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतएव कृपया शीर्ष प्राथमिकता पर उपर्युक्तानुसार धनराशि वितरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, समाज कल्याण को दिनांक 30.11.2013 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण दिनांक 12.12.2013 को मा0 उच्च न्यायालय में पुनः सूचीबद्ध है। अतएव मा0 उच्च् न्यायालय के आदेश एवं समयबद्ध होने के कारण शीघ्रता तथा व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/26-3-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मण्डलीय उपनिदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आर0डी0कल्याण)

उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in